

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/व.आ./2022-23/

दिनांक :

बजट आवंटन आदेश-22

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-16: **Silvi Pastoral Planting Model for IGNP Areas 17 : Silvi Pastoral Planting Model for Non-IGNP Areas** में वर्णित संलग्न सूची अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)


APO Item No. 16 : Silvi Pastoral Planting Model for IGNP Areas						
क्र. सं.	कार्यालय का नाम	APO Item	Activity	Budget Allotment		
				Phy. Target (in Ha.)	Unit Rate	Total Amount
1	उ.व.सं. इ.गा.न. परि. स्टेज-11 बीकानेर	Silvi Pastoral Planting Model for IGNP Areas	i) New Advance Action	100.000	0.21124	21.12400
				100.000		21.12400
2	उ.व.सं. हनुमानगढ़			60.000		12.67440
3	उ.व.सं. जैसलमेर			260.000		54.92240
योग						
4	उ.व.सं. हनुमानगढ़	Silvi Pastoral Planting Model for IGNP Areas	ii) Committed (1st year)/ Planting Year	100.000	0.27244	27.24400
				200.000		17.09200
5	उ.व.सं. बाडमेर		iii) Committed (2nd year)/ Maintenance 1st Year	200.000	0.08546	17.09200
6	उ.व.सं. जैसलमेर			100.000		8.54600
योग				500.000		42.73000
कुल योग						124.89640
APO Item No. 17 : Silvi Pastoral Planting Model for Non-IGNP Areas						
1	उ.व.सं. जालौर	Silvi Pastoral Planting Model for Non-IGNP Areas	i) New Advance Action	100.000	0.18867	18.86700
2	उ.व.सं. पाली			50.000		9.43350
3	उ.व.सं. झालावाड़			50.000		9.43350
4	उ.व.सं. चित्तौड़गढ़			100.000		18.86700
5	उ.व.सं. उदयपुर			50.000		9.43350
6	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि (द्वितीय) बाघ. परि. करौली			100.000		18.86700
7	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा			200.000		37.73400
8	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर			100.000		18.86700
9	उ.व.सं. वन्य जीव चित्तौड़गढ़			100.000		18.86700
10	उ.व.सं. वन्य जीव राजसमंद			100.000		18.86700
योग				950.000		179.23650

वन और योजना प्राधिकरण

11	उ.व.सं. भीलवाडा	Silvi Pastoral Planting Model for Non-IGNP Areas	ii) Committed (1st year)/ Planting Year	150.000	0.27202	40.80300
12	उ.व.सं. नागौर			50.000		13.60100
13	उ.व.सं. जोधपुर			50.000		13.60100
योग				250.000		68.00500
14	उ.व.सं. जालौर	Silvi Pastoral Planting Model for Non-IGNP Areas	iii) Committed (2nd year)/ Maintenance 1st Year	200.000	0.11222	22.44400
15	उ.व.सं. जोधपुर			35.000		3.92770
16	उ.व.सं. पाली			100.000		11.22200
योग				335.000		37.59370
कुल योग						284.83520
महा योग						409.73160


- Prior to implementation of above activities, the Dcfs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan.**
- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अर्न्तगत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे।समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- संबन्धित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


 (शिखा मेहरा)
 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
 राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक -अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव सवाई माधोपुर/वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव, कोटा/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- भीलवाड़ा/नागौर/इ.गा.न. परि. स्टेज-II बीकानेर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/जालौर/बाड़मेर/पाली/जोधपुर/झालावाड़/चित्तौड़गढ़/उदयपुर/उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (द्वितीय) बाघ परि. करौली/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव चित्तौड़गढ़/वन्य जीव राजसमंद।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।


(आर्काक्षा जोशी)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।